भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3187

जिसका उत्तर 12 मार्च, 2020 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में जल भण्डारण सुविधाएं

3187. श्री दयानिधि मारन:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुल क्षमत , निर्माण का वर्ष, वर्तमान भंडारण स्तर और रिकॉर्ड के रखरखाव सहित तमिलनाडु में सभी जल भंडारण सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु में सरकार द्वारा कोई नई सुविधाओं की योजना बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में 2014 के बाद से लेकर अब तक बनाई गई सभी नई सुविधओं की सूची क्या है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देशभर में जल भंडारण सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) तमिलनाडु राज्य के साथ सरकार द्वारा आयोजित ध , विशेषज्ञ सहायता ओं /या परामर्श, यदि कोई हो, का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ग) जल, राज्य का विषय होने की वजह से बांधों, तटबंधों और नहरों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण सहित जल संग्रह सुविधाओं की आयोजना, निष्पादन, संचालन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा उनके स्वयं के संसाधनों और उनकी अपनी आश्यकताओं तथा कार्यों की प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। राज्य सरकारों के प्रयासों को सहायता देने की दृष्टि से भारत सरकार पीएमकेएसवाई (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना) के तहत त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) जैसी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों इत्यादि के माध्यम से जल संसाधन के सतत विकास और दक्ष प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय जल आयोग बड़े बांधों के संबंध में एक रजिस्टर (एनआरएलडी) रखता है जो राज्यों/प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में बड़े बांधों के

संबंध में एक संकल्प है जिसे http://cwc.gov.in/sites/default/files/nrld06042019.pdf पर देखा जा सकता है। एनआरएलडी का अद्यतन संस्करण जून, 2019 में प्रकाशित किया गया था। जून, 2019 के एनआरएलडी के अनुसार तमिलनाडु में 118 पूरे किए गए वृहत बांध हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014 से पूरे देश में 44 वृहत बांधों का निर्माण किया गया है।

(घ) और ङ) वर्ष 2016-17 से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत निन्यानबे (99) चालू वृहत/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (और सात चरणों) को उनके कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) निर्माण कार्यों सहित चरणों में पूरा करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श करके प्राथमिकीकृत किया गया है। केन्द्र और राज्य दोनों के हिस्से के लिए सरकार द्वारा नाबार्ड के माध्यम से निधियन तंत्र अनुमोदित किया गया है। राज्य और परियोजनावार आबंटित निधियों का ब्र http://pmksy-mowr.nic.in/aibp-mis/ReleaseOrder-Reports.aspx में दिया गया है। तमिलनाडु की कोई भी परियोजना उपर्युक्त का भाग नहीं है। भारत सरकार 3466 करोड़ रूपए की संशोधित लागत पर 10 कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मिलकर सात राज्यों अर्थात झारखंड (3), कर्नाटक (22), केरल (28), मध्य प्रदेश (25), ओड़िशा (26), तमिलनाडु (89) और उत्तराखंड (5) में स्थित 198 बांध परियोजनाओं के पुनरूद्धार के प्रावधान के साथ विश्व बैंक से ऋण सहायता के साथ बांध पुनरूद्धार और सुधार परियोजना को कार्यान्वित कर रही है और यह जून, 2020 में समाप्त हो जाएगी। विश्व बैंक से ऋण सहायता के इस निधियन की राज्यों को तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है जिसे भारत सरकार और ड्रिप साझेदार एजेंसियों द्वारा ऋण की सहमत शर्तों के अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा वापस करना अपेक्षित इसके अर्ति , अन्य ब्यौरा https://www.damsafety.in/index.php?lang=en&page=Dashboard_On_Going&origin=front-end&tp=1 पर दिया गया है।

****